




फर्द अहकाम


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ

पियूष वगै० बनाम पवन वगै०

राजस्व वाद


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
07.07.2021	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड/साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.08.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर </p>	
24/8/21	<p>पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड/साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.08.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
15/9/21	<p>पत्रावली पेश। उपखण्ड उपस्थित। वादी की कोर्ट से प्राप्ति प्राप्त 01/10/21 को प्राप्ति प्राप्त पेश की जा रही है। वादी वकील को दिनांक 01/10/21 को प्राप्ति प्राप्त पेश की जा रही है।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	

प्राप्ति प्राप्त पेश की जा रही है। वादी वकील को दिनांक 01/10/21 को प्राप्ति प्राप्त पेश की जा रही है।



फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

.....बनाम.....
पियूष पवन
 प्रकरण सं..... तारीख रजू.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
<p>18/10/21 <u>06.2.21</u></p>	<p>पत्रावली सस्टुत हुई। पत्रावली कीर्तवधि से तबती है। ओरिजिनल दिनांक 29.9.21 को 1005 भी तबती है। पुन तलखाना पेश करने के बाद पेश प्रथम क्रम में जादी को अंतिम अवसर के रूप में भी भेज अवसर प्रथम क्रम में जादी के बाद उपरोक्त जादी से आरिजिनल तब पुन तलखाना पेश नहीं किया है। सिविल सत्रिया सेलिया के आदेश 9 नियम 05 के अलेक में दावा खारिज किया जाना उचित तरीक है। अतः दावा खारिज CPC के आदेश 9 नियम 05 के अलेक में खारिज किया जात है। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम है। बाहू तमिल तबतील करिबल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०</p>	